UPSH010009062026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–451/2026

1–जहॉगीर हसन खॉ उर्फ बोबी पुत्र वहीद हसन खॉ,
2–आलमगीर हसन खॉ उर्फ डाबी पुत्र वहीद हसन खॉ,
निवासीगण मो0 एमनजई जलाल नगर, थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहॉपुर।
.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।
मुकदमा अपराध संख्या–73/2025,
धारा–115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं
धारा–3(1)द, ध व 3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–18.03.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **जहॉगीर हसन खॉ उर्फ बोबी** एवं **आलमगीर हसन खॉ उर्फ डाबी** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं तथा अभियुक्तगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भा0ना0सु0 संहिता संख्या–6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णीत दिनांकित 12.08.2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप, उनके जमानत सम्बन्धी अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्तगण ने आग्रह किया कि उनके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, निस्तारण किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर वादी पूर्व में उपस्थित आया, परन्तु आज जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय वादी की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामभजन द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई गई कि उसका घर कालटी डेयरी वालों के पास में है, जो कि गली में अन्दर को है। मैन रोड से गली में मुड़ते ही दोनों ओर, एक तरफ रीवा मैरिज लॉन व दूसरी तरफ मकान वहीद हसन खॉ (लड्डन) का स्थित है। जिस तरफ मकान है, उस ओर इन लोगों ने नाली को पाट दिया है तथा जिस तरफ मैरिज लॉन है, उस तरफ की नाली में उसके घर की ओर से मुँह करके पेशाब करते हैं तथा मैरिज लॉन में शादी के समय पूरी गली में गाड़ियॉ खड़ी करवाते हैं, जिससे गली वालों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। जिस तरफ नाली पाट रखी है, उस तरफ घर के ऊपर होटल के कमरे बने है, जिनकी सारी गन्दगी गली में बहाते हैं, जिसको लेकर उसने व उसकी गली में रहने वालों ने जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस कारण डोबी व बोबी बुराई मानने लगे और आये दिन उसे व उसके परिवार वालों को गन्दी–गन्दी जातिसूचक गालियॉ व जान से मारने की धमकियॉ देने लगे। दिनांक 05.02.2025 को समय करीब 11:00 बजे रात को उसका पुत्र आलोक कुमार एक कम्पनी मीटिंग से वापस घर आ रहा था, तभी रीवा मैरिज लॉन गेट पर खड़े डोबी व बोबी, उसके पुत्र को गन्दी–गन्दी मॉ–बहन की गालियॉ देने लगे। उसके पुत्र ने मना किया तो उक्त दोनों ने उसके पुत्र के साथ मारपीट की और कहा कि साले धुबट्टे तेरे घरवाले बहुत बोलते हैं, किसी दिन तूझे जान से मार डालेंगे। शोर सुनकर मोहल्ले के शिवम, पियूष तथा वह व उसके परिवार वाले मौके पर गये तो उक्त लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर अपमानित किया।

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.03.18 16:19:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन झूँठा फॅसाया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह घर के अकेले व्यक्ति हैं तथा अन्य कोई कामकाज देखने वाला नहीं है। उनके द्वारा गवाहों को तोड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके परिजनों के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गयी व जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा व उसके परिजनों के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करने तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण सजायाफ़्ता हो अथवा उनका कोई आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तर्क अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **जहॉगीर हसन खॉ उर्फ बोबी** एवं **आलमगीर हसन खॉ उर्फ डाबी** प्रत्येक द्वारा **मु0 25,000/–रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व इसी धनराशि की **एक–एक प्रतिभू** दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण यह वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देंगे।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त अपराध, जैसा करने का उन पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकती है।

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6315

दिनांकः 18.03.2026